भारत सरकार

पर्यावरण, वन **और** जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.276

01.12.2015 को उत्तर के लिए

ईएसए में कमी

276. श्री बी. सेनगुट्टुवन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी घाट पर पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र को **56000** वर्ग किलोमीटर से घटाकर **50000** वर्ग किलोमीटर करना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात राज्यों में पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र को सतत् विकास के लिए कम किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईएसए में कमी से इन राज्यों में लोगों का जीवन और उनकी जीविका प्रभावित होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार ईएसए के आस-पास प्रदूषण उद्योग को लगाने पर कुछ काल के लिए रोक लगाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ग) पर्यावरण, वन **और** जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के सतत विकास को अनुमत करते हुए उस क्षेत्र में **56,825** वर्ग कि.मी. क्षेत्र को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रारूप अधिसूचना दिनांक **04.09.2015** जारी की है । केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों, जिसमें राज्यों ने अपने राज्य में ईएसए में कमी करने का प्रस्ताव किया है, से पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों **(ईएसए)** के सीमाकंन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(घ) प्रारूप अधिसूचना, दिनांक **04.09.2015** में धारा **(3) (1) (क), (ख), (ग)** और **(घ)** में निहित प्रावधानों द्वारा पश्चिमी घाट के पारि-संवेदनशील क्षेत्रों में कतिपय परियोजनाओं और कार्यकलापों को प्रतिषिद्ध करने का प्रस्ताव किया है । तथापि, पश्चिमी घाटों को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने और इसकी पर्यावरणीय अखंडता को बनाये रखने के लिए, मंत्रालय ने दिनांक **13** नवम्बर, **2013** को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, **1986** की धारा **5** के अंतर्गत निदेश जारी किए हैं । निदेशों के अनुसार, नए और/अथवा विकास परियोजनाओं/कार्यकलापों के विस्तारण की पांच श्रेणियों, जिनका पारि-प्रणालियों पर हस्तक्षेप करने और क्षति पहुंचाने का अधिकतम प्रभाव है, को उच्च स्तरीय कार्य दल द्वारा पश्चिमी घाटों में यथा अभिज्ञात पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

पश्चिमी घाट में प्रस्तावित पारि-संवेदनशील क्षेत्रों के बाहर क्षेत्रों में किसी प्रदूषण उत्पन्न कर रहे उद्योग को संस्थापित करने के लिए रोक लगाने के लिए पर्यावरण, वन **और** जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

******